

प्रेस नोट

14.01.2021

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.01.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रोड़वेज बस स्टैण्ड के पास से थाना दक्षिणटोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 235/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विजय सोनकर पुत्र दया सोनकर निवासी कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, सुनील सोनकर पुत्र मिठाई सोनकर निवासी रजपुरा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 564/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण एखलाक अहमद पुत्र एहसानुलहक, जमील अहमद पुत्र मो0 सफीक निवासी करीमुददीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 14.01.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रहजानिया मोड़ के पास से मु0अ0सं0 33/21 धार 294,354,354घ,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अमित यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी बेलचौरा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार—

दिनांक 13.01.2021 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान चिरैयाडाह के पास से रामसिंगार पुत्र कांता सोनकर निवासी चिरैयाडाह थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 34/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।